निर्णय ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 87/2020 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

श्रवण कुमार पुत्र कन्हैया लाल जाति माली निवासी कस्बा आमेर, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री लक्ष्मीकान्त कटारा आर ए एस पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आमेर ।
2. कमला देवी पत्नी रामानन्द जाति अहीर निवासी सी आई डी सी बी के सामने, कस्बा आमेर, तहसील आमेर ।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र बाबत अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 उपखण्ड अधिकारी आमेर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 13/2019 ब उनवानी कमला बनाम नानगी देवी व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थितः–

1. श्री बंशीधर जाट अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री नरेन्द्र कुमार यादव अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 15.12.2020

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर के समक्ष प्रकरण संख्या 13/2019 ब उनवानी कमला बनाम नानगी व अन्य पत्थरगढी बाबत विचाराधीन है। जिसमें प्रार्थी का दिनांक 13.03.2020 को बिना समुचित अवसर दिये ही तथा बिना तहसीलदार की जांच रिपोर्ट आये ही जबाब बन्द कर दिया। उसके पश्चात कोविड–19 के कारण लॉक डाउन लगने से राजस्व न्यायालयों में किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हुई उसके उपरान्त भी पीठासीन अधिकारी ने अप्रार्थी संख्या 2 से मिलीभगत कर उक्त प्रकरण में बिना किसी कारण के व बिना प्रार्थी की सहमति के नजदीकी तारीख पेशियां वास्ते जबाब हेतु नियत की गई। जबकि प्रकरण में अभी तक पर्याप्त तामील भी नहीं हुई है। अप्रार्थी संख्या 2 के पति काफी प्रभावशाली व राजनैतिक पहुंच वाला व्यक्ति है, जिसकी पहुंच राजनैतिक लोगों से होने के कारण आये दिन कस्बा के लोगों को कहता रहता है कि उक्त प्रकरण में फैसला मेरे पक्ष में करवा कर रहूंगा। अप्रार्थी संख्या 1 मेरे प्रभाव मे है। प्रकरण में दिनांक 30.09.2020 को अधिवक्ता द्वारा मुझे फोन पर सूचना दी की आपके प्रकरण में आज की तारीख पेशी नियत है जिस पर मै न्यायालय में उपस्थित हुआ। कोविड–19 के कारण समस्त प्रकरणों में आगामी तारीख पेशी 11–11–2020 नियत की गई, परन्तु पुनः अधिवक्ता द्वारा दिनांक 7.10.2020 की शाम को

जिला कलक्टर
जयपुर

मुझे फोन पर सूचित किया कि अप्रार्थी संख्या 1 आज ही प्रकरण में बहस के लिये जिद कर रहे थे, परन्तु मैने प्रकरण में आगामी तारीख पेशी वास्ते जबाब हेतु बडी मुश्किल से ली है। दिनांक 08.10.2020 को अप्रार्थी 2 द्वारा मुझे स्वयं को यह कहा गया कि आगामी तारीख पेशी दिनांक 14.10.2020 को हमारे पक्ष में फैसला हो जायेगा। क्योंकि हमारी पीठासीन अधिकारी से बात हो गई है । कई अजनबी व्यक्तियों के साथ अप्रार्थी संख्या 2 व उसके पति अप्रार्थी संख्या 1 के चैम्बर में आते जाते रहते है जिससे प्रार्थी को यह अन्देशा है कि न्यायालय में विराजमान पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी संख्या 2 के प्रभाव में है तथा उक्त प्रकरण में स्वतंत्र न्याय निर्णय नहीं हो सकता हैं। इसका पूर्ण अंदेशा प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 2 के कथनानुसार भी है। न्यांयालय में पीठासीन अधिकारी का व्यवहार न्यायिक तौर पर ठीक नही रहा तथा ऐसा लग रहा था कि वो प्रार्थी के प्रकरण में जल्दबाजी करते हुये प्रकरण का निस्तारण करने पर आमादा है तथा प्रार्थी को अन्देशा है कि पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी संख्या 2 के प्रभाव में है तथा उक्त प्रकरण में न्याय निर्णय प्राथी के पक्ष में करने पर असमर्थ है। कोविड महामारी के कारण राज्य सरकार व बार ऐसोसियेशन के निर्देशानुसार भी प्रकरणों में सुनवाई स्थगित कर रखी है, उसके उपरान्त भी पीठासीन अधिकारी विचाराधीन प्रकरण में विशेष रूची रखते हुय प्रकरण में तारीख पेशी नियत कर रहे है और प्रकरण को निस्तारण करने पर आमादा है। न्याय की यही मंशा है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होते हुये प्रार्थी को ऐसा प्रतीत भी होना आवश्यक है कि उसे न्याय प्राप्त होगा। इसी सन्दर्भ में राजस्व मण्डल एवं उच्च न्यायालय ने अपने अनेको निर्णयों में यही प्रतिपादित किया है कि जब प्रतिवादी को न्याय प्राप्त नहीं होने की आशंका हो तो ऐसी स्थिति में प्रकरण को अन्य न्यायालय में स्थानान्तररित किया जाना अत्यन्तत आवयश्क है। ऐसा कथन अंकित कर उक्त प्रकरण को अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी आमेर से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री नरेन्द्र कुमार यादव ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया।

3. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

4. उपखण्ड अधिकारी आमेर के पीठासीन अधिकारी से टिप्पणी तलब की गई थी, किन्तु प्राप्त नहीं हुई। प्रार्थी ने पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने पर शंका जाहिर की है। न्याय का नैसर्गिक सिद्वान्त है कि न्याय किया जाना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि न्याय किया गया है, ऐसा लगना भी चाहिये। न्याय की इसी भावना को मध्यनजर रख कर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना न्याय संगत है। जयपुर मुख्यालय पर उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर उत्तर (सहायक कलक्टर) का न्यायालय भी स्थापित है, जिसमें इस प्रकरण को मुन्तकिल किया जा सकता है। इससे पक्षकारान को असुविधा भी नही होगी। अप्रार्थी अधिवक्ता भी उक्त प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने हेतु सहमत है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

जिला कलक्टर
जयपुर

5. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 39/2020 व उनवानी कमला बनाम नानगी व अन्य को न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर उत्तर (सहायक कलक्टर) में मुन्तकिल किया जाता है।

6. पक्षकारान न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर उत्तर (सहायक कलक्टर) में सुनवाई हेतु दिनांक 04.01.2021 को उपस्थित हो। उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर उत्तर (सहायक कलक्टर) प्रकरण दर्ज कर उभयपक्ष को गुणावगुण एवं मैरिट पर सुन कर प्रकरण का निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

7. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा उपखण्ड अधिकारी आमेर व उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर उत्तर (सहायक कलक्टर) को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

8. निर्णय आज दिनांक 15.12.2020 को सरे इजलास सुनाया गया ।

15/12/2020

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला कलक्टर
जयपुर